

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:एफ.1498 सीसी/स्वा.का.पु./2018/1552

दिनांक : 11/6/18

संशोधित आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की S.B.C.W.P. No. 15879/17 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.01.18 की पालना में श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री कालू खॉन को स्वीकृत संशोधित चयनित वेतन श्रंखला/ए.सी.पी. के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ.1498 सीसी/स्वा.का.पु./2018/1151 दिनांक 10.05.18 की प्रतिलिपी क्रमांक 5 एवं 6 में आंशिक संशोधन कर सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर के स्थान पर सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-बीकानेर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर किया जाता है। आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.1498 सीसी/स्वा.का.पु./2018/1552

दिनांक : 11/6/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन बीकानेर/जोधपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर/जैसलमेर।
7. संबंधित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित याचिकाकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर